**पंचाट के लागू कराने के लिए वाद**

**(Suit for implimentation of an award)**

**माध्यस्थम अधिनियम, 1940 के अधीन**

**(Under Arbitration Act, 1940)**

न्यायालय….

वाद नंबर .......... सन् ......

अ०ब०स० ............ वादी

**बनाम**

स०द०फ० ............ प्रतिवादी

उपरोक्त नामांकित वादी निम्न प्रकार सविनय निवेदन करता है :

1. यह कि वादी और प्रतिवादी के मध्य वादी की माँग को कीमत चुकता करने सम्बन्धी प्रतिवादी द्वारा इन्कार करने के कारण मतभेद चल रहा था। जिससे तैय करने हेतु दिनांक ....... को लिखित में यह तय हो गया कि इस मामले को पंच निर्णय को सौंप दिया जाए।
2. यह कि दिनांक ........ को पंच निर्णय द्वारा यह फैसला दिया गया कि प्रतिवादी को अंकन रु० ....... वादी को भुगतान करना चाहिए।
3. यह कि प्रतिवादी द्वारा अभी तक धनराशि का भुगतान नहीं किया गया।
4. यह कि वाद हेतु (वाद का कारण) दिनांक ............ को तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी क द्वारा भुगतान करने से मना कर दिया गया । वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।
5. यह कि वाद का मूल्यांकन रु० ..... है जो कि पंच निर्णय द्वारा घोषित किया गया है आर उस पर रु० 18% वार्षिक दर से ब्याज है जिस पर न्याय शुल्क अदा किया गया है।

**अनुतोष के लिए प्रार्थना :**

में कि उपरोक्त वादी ............. इस वाद में यह माँग करता हूँ कि मान्य न्यायालय द्वारा पंच निणय को न्यायालय का निर्णय मानकर पंचाट के आधार पर दर्शाई गई धनराशि की डिक्री 18% भाषक ब्याज के साथ पारित करने की कृपा की जाए। वाद व्यय दिलाया जावे.

**दिनांक……. वादी ............**

**द्वारा अधिवक्ता…….**

**सत्यापन**

में कि ............ वादी प्रमाणित करता हूँ कि वाद पत्र की धारा 1 से 3 मेरे निजी ज्ञान पर भारत हैं जो सत्य हैं तथा धारा 4 व 5 कानूनी सलाह पर आधारित हैं जो मेरे विश्वास में सत्य हैं

**सत्यापन- दिनांक ............ दिन ............ स्थान ............ (वादी)**

**टिप्पणी** :- माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पारित पंचाट का सिविल लय का आज्ञाप्ति के समान निष्पादन कराया जायेगा।